

भारत का संविधान

सिद्धांत और व्यवहार

कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 81-7450-590-3

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रितिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्ड के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किरण पर न दी जाएगी, न बच्ची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मात्र नहीं होगा।

एनसीईआरटी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एनसीईआरटी कैप्स

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होर्डेंकेरे

बनाशकरी III इस्टेज

बैगलुरु 560 085

नवजीवन ट्रास्ट भवन

डाकघर, नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

सौ.डब्ल्यू.सी. कैप्स

निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी

कोलकाता 700 114

सौ.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स

मालीगाव

गुवाहाटी 781021

फोन : 033-25530454

सौ.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स

मालीगाव

गुवाहाटी 781021

फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग | : अशोक श्रीवास्तव |
| मुख्य उत्पादन अधिकारी | : शिव कुमार |
| मुख्य व्यापार प्रबंधक | : गौतम गांगुली |
| मुख्य संपादक
(संविदा सेवा) | : नरेश यादव |
| उत्पादन सहायक | : प्रकाश वीर सिंह |

आवरण और सज्जा

श्वेता राव

चित्रांकन

राजीव कुमार

कार्टूस

इरफान खान

प्रथम संस्करण

मई 2006 ज्येष्ठ 1928

पुनर्मुद्रण

जनवरी 2007 माघ 1928

जनवरी 2008 माघ 1929

जनवरी 2009 माघ 1930

जनवरी 2010 माघ 1931

जनवरी 2011 पौष 1932

मार्च 2013 फाल्गुन 1934

जनवरी 2013 अग्रहायण 1935

PD 2OT RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, 2006

c65.00

आवरण पर अंकित चित्र ऐतिहासिक
महत्त्व के हैं। पहला कार्टून शंकर द्वारा
1950 में भारत का सर्विधान लागू होने के
समय बनाया गया। दूसरा कार्टून आर.के.
लक्ष्मण ने भारत की आजादी की 50वीं
वर्षगाँठ पर बनाया और टाइम्स ऑफ
इंडिया में 1997 में प्रकाशित हुआ।

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम.
पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद
मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा
अरावली प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड,
डब्ल्यू-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II,
नयी दिल्ली 110 020 द्वारा मुद्रित।

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभावश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आजादी दी जाए तो बच्चे बड़े द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूँझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार-विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है, जिन्हें करने के लिए व्यावहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक विकास समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेवन और राजनीति विज्ञान पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य

सलाहकार प्रोफेसर सुहास पर्शीकर तथा प्रोफेसर योगेंद्र यादव के विशेष आभारी हैं। इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

एक चिंता के नाम

‘प्यारे विद्यार्थीं!'

इस किताब के शीर्षक को देखकर शायद आपके मन में सवाल उठे कि ‘भारत के संविधान’ के बारे में दुबारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्या पिछली कक्षा में मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की थी? आप ठीक कहते हैं – आपने पिछली कक्षा में भारतीय शासन-व्यवस्था की बुनियादी बनावट और थोड़ा-बहुत भारत के संविधान के बारे में पढ़ा था। लेकिन, किताब उससे आगे की कहानी कहती है जितनी आप पिछली कक्षा में सुन चुके हैं।

आपने अब राजनीतिशास्त्र को अपना विषय चुना है और अब आप इसे अगले दो सालों तक पढ़ेंगे। राजनीतिशास्त्र से दो-चार होने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि हम इसे अपने देश की राजनीति के माध्यम से जानें? भारत के संविधान ने अपने लिए जो रास्ते अपनाए हैं उन्हें जानना भारतीय राजनीति को समझने की पहली सीढ़ी है। इसी तरह, भारतीय राजनीति को जानकर हम दूसरे देशों की राजनीति को भी जान सकते हैं। हमें उम्मीद है कि संस्थागत ढाँचे और उसके इर्द-गिर्द मौजूद सत्ता की राजनीति के अध्ययन से आपको राजनीति के नियमों और सिद्धांतों की जानकारी हो सकेगी। इसी कारण, यह किताब आपको बताती है कि हमारा संविधान किस तरह अपना कामकाज करता और हमारी राजनीति को एक आकार देता है। इस किताब में आपको संविधान में वर्णित कानूनी प्रावधानों या तकनीकी व्यापों के दर्शन नहीं होंगे। दरअसल, किताब यह बताती है कि किस तरह वास्तविक राजनीति के जमा-जोड़ से संस्थाएँ शक्ति अखिलयार करती हैं।

नये ढंग की इस पाठ्यपुस्तक को लिखने की प्रेरणा हमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005 से मिली। पाठ्यचर्चा में कहा गया है कि पढ़ाई-लिखाई में दुहराने अथवा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। इसकी जगह, ‘सामाजिक-आर्थिक और अवधारणागत समझ’ को बनाने-बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। इस किताब की प्रस्तावना स्वयं एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक की कलम से लिखी गई है। इसमें नयी पाठ्यचर्चा के सोच और दर्शन को स्पष्ट किया गया है। राजनीतिशास्त्र का नया पाठ्यक्रम इस बात को मानता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों और उनके कामकाजों के बारे में विद्यार्थी की समझ को बढ़ाने की ज़रूरत है।

इस कारण इस किताब में संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के बजाय संविधान के बुनियादी तर्क और वास्तविक जीवन में इसकी परिणतियों पर ज़ोर दिया गया है। यह किताब आपका परिचय संविधान की धारणा से करायेगी, संविधान के बनने और इसके कामकाज की कथा सुनाएगी। यह तो निश्चित है ही कि हम इस किताब में संविधान के विभिन्न मुख्य प्रावधानों की चर्चा करेंगे। लेकिन, इसमें हमने तीन और विशेषताएँ जोड़ी हैं।

आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि संविधान में एक खास व्यवस्था को ही क्यों अपनाया गया है, किसी और को क्यों नहीं? पाठ्यपुस्तक में आपकी इस जिज्ञासा का समाधान किया गया है। यह तो हुई पहली बात! दूसरी, इस किताब के सहरे आप समझ सकेंगे कि वास्तविक राजनीति के साथ चलकर संस्थाओं का विकास होता है। इसी कारण इस किताब की दौड़ सन् 1950 पर आकर नहीं रुकती। पुस्तक के अध्याय पिछले 50 या उससे ज्यादा सालों के राजनीतिक-इतिहास के उदाहरणों से आपकी मुठभेड़ करवाती है। हमें उम्मीद है कि इस किताब को पढ़कर आपको भारतीय राजनीति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का चक्का लग जाएगा और यह किताब आपको भारतीय राजनीति पर केंद्रित अगले साल की पुस्तक के लिए तैयार करेगी। तीसरी बात, इस पुस्तक के सहरे आप भारत और उसके

संविधान की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर सकेंगे जिनके सवाल और सरोकार तो मिलते-जुलते हैं लेकिन जवाब अलग-अलग हैं। इसलिए, जहाँ संभव हो वहाँ यह पुस्तक आपको बताती है कि दुनिया में दूसरी जगहों पर क्या हुआ। हमें आशा है कि आपको एक संस्था की दूसरी संस्थाओं और सामाजिक-स्थितियों से तुलना करने की आदत लग जाएगी।

पढ़ने में यह विषय आपको दिलचस्प लगे इसके लिए हमने किताब में कुछ और खूबियाँ जोड़ी हैं। हर अध्याय में संविधान में वर्णित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। इससे आपको संविधान की भाषा और शब्द-योजना का सही-सही परिचय मिल जाएगा। हर अध्याय में आपको कुछ उद्धरण नज़र आएँगे। इनमें से अधिकांश उद्धरण संविधान-सभा की बहसों के हैं। इसका एक उद्देश्य तो राजनीतिक बुद्धिमता और दूरदृष्टि की अपनी इस विरासत से आपको रू-ब-रू करना है और दूसरा उस घटनाक्रम को आपके सामने रखना है, जो संविधान-निर्माण के समय पेश आया।

अनेक अध्यायों में कार्टून दिए गए हैं। इन कार्टूनों का उद्देश्य महज हँसाना-गुदगुदाना नहीं है। ये कार्टून आपको किसी बात की आलोचना, कमज़ोरी और संभावित असफलता के बारे में बताते हैं। हमें आशा है कि इन कार्टूनों का मजा लेने के साथ-साथ आप इनके आधार पर राजनीति के बारे में सोचेंगे और बहस करेंगे। इसके अतिरिक्त, किताब में जगह-जगह पने के हाशिए पर आपको दो चरित्र नज़र आएँगे। कार्टूनिस्ट इरफान ने इन्हें बड़े जतन से आपके लिए उकेरा है ताकि आप इन दोनों चरित्रों से अपने को जोड़ सकें। ये दोनों चरित्र ठीक-आप जैसे हैं – सवाली, बातूनी और कुछ-कुछ शाररती! कभी-कभी तो ये चरित्र पुस्तक के लेखकों से कहों ज्यादा साहस दिखाते हैं। ये बड़े मुश्किल

संविधान सभा के बाद-विवाद से लिए गए उद्धरण

स्रोत : [http://parliamentofindia.nic.in/
ls/debates/debates.htm](http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/debates.htm)

सवाल पूछते हैं और ऐसी बातें कह जाते हैं कि उस पर कुछ देर रुककर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन चरित्रों के नाम हैं – उन्नी और मुन्नी। इस किताब को लिखने के क्रम में हमें भी ये चरित्र प्यारे लगने लगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप को भी ये किरदार प्यारे लगेंगे। शायद, इनसे प्रेरणा लेकर आप अपने शिक्षकों से ज्यादा सवाल पूछने लगें और कुछ हमारे पास भी भेजें।

हर अध्याय के अंत में प्रश्नावली के नाम से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) से प्रेरित-उत्साहित होकर और कुछ युवा साथियों की मदद से हमने प्रश्नावली के रूप में कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश की है। परिषद् के निदेशक को उम्मीद है कि इस तरह की किताबों से



मुन्नी

मूल्यांकन की पद्धति में सुधारों को भी बल मिलेगा। इस तरह के प्रश्न और पहेलियाँ आपके अंदर छुपी संभावनाओं को उजागर करने का काम करेंगे। हमारी उम्मीद है कि आपको अधिकतर सवाल रुचिकर लगेंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी हरदम परीक्षा ली जा रही है। आप चि_री या ई-मेल लिखकर ज़रूर बताएँ कि हमारी यह उम्मीद कहाँ तक पूरी हुई।

इस पुस्तक को एक टीम ने मिलकर छः महीने के कड़े परिश्रम से पूरी की। इस टोली में स्कूल और कॉलेज के अध्यापक, शिक्षाविद्, राजनीतिशास्त्री और कलाकारी शामिल थे। इस पृष्ठ को पलटते ही आपका परिचय इस टोली के सदस्यों से होगा। शायद आप भी पसंद करेंगे कि टोली के सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाय कि इन्होंने अलग तरीके की किताब लिखने में अपनी ऊर्जा लगाई। इस पूरे प्रयास में परिषद् के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने हमारी मदद भी की और मार्गदर्शन भी। इसी प्रकार हमें प्रोफेसर हरि वासुदेवन, प्रोफेसर गोपाल गुरु, प्रोफेसर मृणाल मीरी, प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे और राष्ट्रीय निगरानी समिति के सदस्यों से भी भरपूर मदद तथा बहुमूल्य सुझाव मिले।

बड़ी संख्या में लोगों ने पूरी उदारता से इस पुस्तक को रचने में अपना समय लगाया। प्रोफेसर राजीव भार्गव, प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता, प्रोफेसर संदीप शास्त्री, डॉ. संजीव मुखर्जी,

डॉ. संजय लोढा, डॉ. पुष्कर राज, डॉ. शैलेंद्र देवलंकर और चैत्रा रेडकर जैसे विद्वत् जनों ने पुस्तक के अध्याय लिखने में मदद की। पंकज पुष्कर, मनीष जैन, एलेक्स जार्ज और एम. मनीषा ने पूरी टोली के आधार का कार्य किया। इन्होंने पुस्तक के लिए शोध करके पुस्तक का प्रारूप बनाने में रात-दिन एक किया और पुस्तक की अन्य सामग्री तैयार की। समाज विज्ञान की शिक्षा के प्रति इनकी अंतर्दृष्टि और गुणवत्ता के प्रति आग्रह ने पुस्तक को एक अलग स्तर प्रदान किया। मनीष जैन सवालों में नवाचार और गुणवत्ता के अपने

उन्नी



सरोकार पर आखिरी दम तक अड़े रहे। पंकज पुष्कर ने पिछले छः महीनों में इस किताब को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत की। विकासशील समाज अध्ययन पीठ की डॉ. श्रीरंजनी और डॉ. संजीर आलम ने हर ज़रूरत के बक्त पर भरपूर मदद की। मिशिगन विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता अमित आहुजा ने अन्य देशों से तुलनात्मक उदाहरण उपलब्ध कराए।

हमें विश्वास है कि आपको श्वेता राव द्वारा तैयार किया हुआ यह डिजाइन पसंद आएगा। पुस्तक के हिंदी संस्करण की सज्जा योगेश कुमार समदर्शी ने बड़े जतन से की है। इरफान ने आपके लिए उन्नी-मुन्नी नाम के चरित्र गढ़े हैं, उम्मीद है कि आपको इनमें अपनी ही तस्वीर नज़र आएगी।

मूलतः अंग्रेजी में तैयार की गई इस पुस्तक को हिंदी में लाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छी गुणवत्ता की पाठ्य सामग्री विकसित करने की जिम्मेदारी को हम पूरी संजीदगी से निभाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि हिंदी की पुस्तक में भाषा का बहाव और गुणवत्ता का स्तर वही हो जो किसी भी मूल पुस्तक में होता है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अधिकतर पाठों का पहला अनुवाद अनिल कुमार वर्मा ने किया। वाक्यों की बनावट सुधारने में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन और अभय कुमार दुबे ने मार्ग दर्शन किया। हिंदी संस्करण को मूल पुस्तक से पंक्ति-दर-पंक्ति मिलाने और भाषा में रखानगी लाने का श्रमसाध्य कार्य चंदन कुमार श्रीवास्तव ने किया। पंकज पुष्कर इस पूरी प्रक्रिया में एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने का काम करते रहे।

असल में यह राजनीति विज्ञान की पढ़ाई को अधिक जीवंत, प्रासंगिक और आपके लिए रुचिकर बनाने का एक सामूहिक प्रयास है। हमको इसके लिए विकासशील समाज अध्ययन पीठ के लोकनीति कार्यक्रम का विशेष उल्लेख करना है। वस्तुतः इस कार्य के लिए 'लोकनीति' अपना पूरा सहयोग दिया। लोकनीति के निदेशक प्रोफेसर पीटर डिसूजा और संजय कुमार विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

आपने हाल में एक बड़ी परीक्षा पास की है। अब हमारी बारी है हम चाहते हैं कि आप हमारी परीक्षा लें और बताएँ कि यह किताब पास हुई या फेल। हम अपने परीक्षाफल का बेताबी से इंतजार करेंगे। आपकी टिप्पणियाँ, आलोचनाएँ और सुझावों से ही हमारा 'रिपोर्ट-कार्ड' तैयार होगा। आपके सुझावों के बल पर हम अगला प्रयास बेहतर करेंगे।

सुहास पठशीकर
योगेंद्र यादव
मुख्य सलाहकार

पाठ्यपुस्तक विकास समिति

अध्यक्ष, पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता।

मुख्य सलाहकार

सुहास पठशीकर, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र।

योगेन्द्र यादव, सीनियर फेलो, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली।

सदस्य

अनिल कुमार वर्मा, रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर, उ.प्र।

एलेक्स एम. जॉर्ज, स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता, इरुवट्टी, जिला कुनूर, केरल।

अंजू मल्होत्रा, प्राचार्य, कालका पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली।

चैत्रा रेडकर, सीनियर लेक्चरर, एस.एन.डी.टी. कालेज, मुंबई, महाराष्ट्र।

जी.पाठक, पी.जी.टी., डोनी-पोलो पब्लिक स्कूल, इटानगर, अरूणाचल प्रदेश।

एम.मनीषा, सीनियर लेक्चरर, राजनीतिविज्ञान विभाग, लोरेटो कालेज, कोलकाता।

मनीष जैन, पी.जी.टी. एवं वर्तमान में शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधरत।

मनीषा प्रियम, सीनियर लेक्चरर, गार्ड कालेज, नई दिल्ली।

पंकज पुष्कर, सीनियर लेक्चरर, राजनीति विज्ञान विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय (उत्तरांचल), हल्द्वानी, उत्तरांचल।

प्रताप भानु मेहता, अध्यक्ष, सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली।

पुष्कर राज, सीनियर लेक्चरर, राजनीतिविज्ञान विभाग, ज़ाकिर हुसैन कालेज, नई दिल्ली।

राकेश शुक्ल, अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

संदीप शास्त्री, निदेशक, इंटरनेशनल एकेडमी फॉर क्रिएटिव लर्निंग, बैंगलोर, कर्नाटक।

संजय लोढ़ा, एसोशिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।

संजीब मुखर्जी, सीनियर लेक्चरर, राजनीति विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता।

सैयद साबकुल्ला, पी.जी.टी., महारानी शासकीय प्रि-यूनिवर्सिटी कालेज, मैसूर, कर्नाटक।

शैलेन्द्र देवलंकर, प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
 शोफाली झा, एसोशिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
 श्रीलेखा मुखर्जी, पी.जी.टी., सेंट पॉल स्कूल, नई दिल्ली।
 वर्षा मंकू, उप प्रधानाध्यापिका, कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल, नई दिल्ली।

हिंदी अनुवाद

अनिल कुमार वर्मा, संपादक-'शोधार्थी', रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर, उ.प्र।

अरविंद मोहन, वरिष्ठ पत्रकार, 78 डी, आई पॉकेट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110 092।
 चंदन कुमार श्रीवास्तव, स्वतंत्र अनुवादक और अनुसंधानकर्ता, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

नरेश गोस्वामी, स्वतंत्र अनुवादक।

पंकज पुष्कर, सीनियर लेक्चरर, उच्च शिक्षा निदेशालय (उत्तरांचल), हल्द्वानी, उत्तरांचल।

सदस्य-संयोजक

संजय दुबे, रीडर, राजनीति विज्ञान, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

आभार

पाठ्यपुस्तक को तैयार करने में बहुत से व्यक्तियों और संस्थाओं ने सहयोग किया। केगल कार्टूस ने शेपेट, जान ट्रेवर और एरेज के कार्टूस उपयोग करने की अनुमति दी। नेहरू स्मारक पुस्तकालय, डाउन टू अर्थ, सहयोग पुस्तक कुटीर, शगुन जाट और काम्बेट ला नेटवर्क के साथी शान्तनु ने फोटोग्राफ़ जुटाने में भरपूर मदद की। इन सभी को हार्दिक धन्यवाद।

हम चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट के विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने हमें शंकर के अमूल्य कार्टून छापने की अनुमति दी। आर. के. लक्ष्मण और द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने पूरी उदारता से अपने कार्टूस के उपयोग की अनुमति देकर पाठ्यपुस्तक निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सराय (विकासशील समाज अध्ययन पीठ) और निरंतर ऐसी संस्थाएँ हैं जिन्होंने इस पुस्तक की योजना के हर चरण में हर संभव सहयोग दिया। इनका सहयोग इनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। विकासशील समाज अध्ययन पीठ के साथी अनिन्दिओ साहा, हिमांशु भट्टाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष अविनाश झा, बनस्मिता बोरा और पूर्ण चंद्र अधिकारी ने भी सहयोग-सहकार में कोई कसर नहीं छोड़ी।

पुस्तक की तैयारी के क्रम में सैयद अफ़ज़्ज़र अहसन ने पूर्फ़ जाँचने और दुरुस्त करने में भाषायी कौशल और श्रमशीलता का परिचय दिया। पुस्तक के हिंदी संस्करण का ले आउट और डिज़ाइन योगेश कुमार ने बहुत ही लगन से किया। डी.टी.पी. ऑपरेटर विक्रम रावत ने दिन-रात एक करके इस पुस्तक को तैयार किया। परिषद् की ओर से कॉपी एडिटर सतीश झा और विभूति नाथ झा, डी.टी.पी. ऑपरेटर उत्तम कुमार और विजय कुमार ने पूरी तत्परता से पुस्तक को निखारा और अंतिम स्पर्श दिया। इन सभी साथियों का जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है।

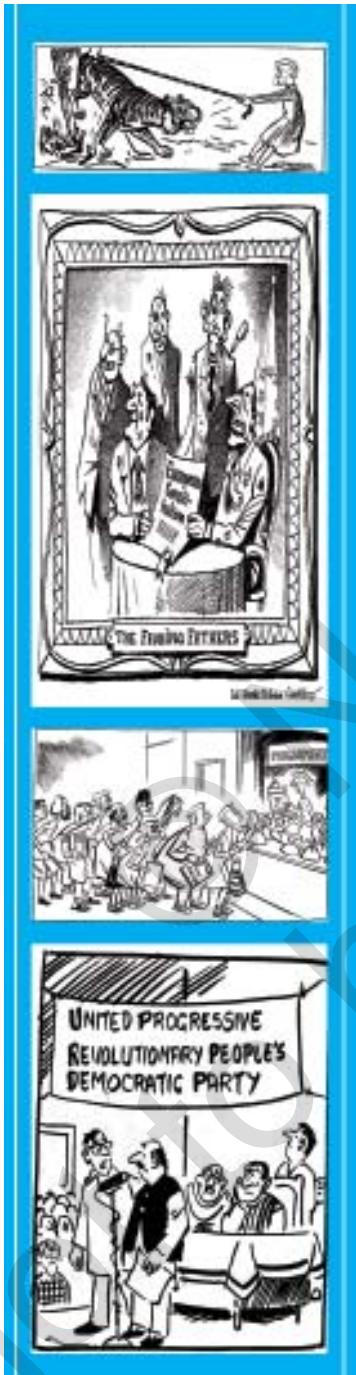
भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक '[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बचालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बचालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।



विषय-सूची

आमुख	iii
एक चि_टी आपके नाम	v
1. संविधान – क्यों और कैसे?	1
2. भारतीय संविधान में अधिकार	26
3. चुनाव और प्रतिनिधित्व	51
4. कार्यपालिका	78
5. विधायिका	100
6. न्यायपालिका	124
7. संघवाद	150
8. स्थानीय शासन	176
9. संविधान – एक जीवंत दस्तावेज़	196
10. संविधान का राजनीतिक दर्शन	220

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भागीदारी की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और बन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

